



क्रमांक / 33 / 2022

रतलाम दिनांक 21 / 01 / 2022

:: ई-निविदा आमंत्रण :: (प्रथम आमंत्रण)

म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 एवं म.प्र. नगर पालिका (अचल सम्पत्ति अंतरण नियम) 2016 एवं दिनांक 04.05.2021 के संशोधन अंतर्गत ई-निविदा आमंत्रण सूचना ।

नगर पालिक निगम रतलाम की योजना क्रमांक 19 TIT रोड स्थित प्लाट नम्बर 27 साईज के आधार पर कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार आरक्षित मूल्य की गणना कर म.प्र. नगर पालिक अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 80 के अंतर्गत म.प्र. नगर पालिका (अचल सम्पत्ति अंतरण नियम) 2016 एवं दिनांक 04.05.2021 के संशोधन के अनुसार तालिका में वर्णित सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्र, पहचान पत्र (वोटर आई डी, आधारकार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पेनकार्ड) की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। सम्पत्ति के आरक्षित मूल्यों से अधिक राशि के प्रस्ताव/दर प्राप्त होने पर ही स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज का स्वप्रमाणीकरण किये जाकर प्रस्तुत करें। विस्तृत विवरण लागत मूल्य सहित निम्नानुसार हैः—

क्रमांक	ई-निविदा क्रमांक	प्लाट नम्बर	क्षेत्रफल प्रति प्लाट (सुपर बिल्टप एरिया) वर्गमीटर में	आरक्षित मूल्य रूपये (कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2021-22)	आरक्षण का प्रकार	निविदा प्रपत्र मूल्य	प्रतिमूल्ति निष्केप राशि (2.50 प्रतिशत)
1	180756	TIT रोड स्थित प्लाट नम्बर 27	1778.81	146751825	अनारक्षित वर्ग	30000	3668796

1— उपरोक्त निविदाओं के निविदा प्रपत्र ऑन लाईन भुगतान कर, क्रय किये जा सकते हैं। निविदा क्रय तथा प्रस्तुत करने की समय सारणी निम्नानुसार हैः—

Publish Date :	24-01-2022 16:00	Pri Bid Meeting Date :	
Document Download/Sale Start Date:	24-01-2022 16:30	Bid Submission End Date :	22-02-2022 15:30
Bid Submission Start Date :	24-01-2022 17:00	Bid Opening Date :	23-02-2022 15:30

2— उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी नगर निगम रतलाम की वेबसाईट www.rmcratlam.in पर देखी जा सकती है।

3— समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वह अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न कर निर्धारित समय सारिणी अनुसार निविदा की ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करें। वेबसाईट में किसी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। वेबसाईट की किसी भी प्रक्रिया अथवा संचालन संबंधी जानकारी के लिये वेबसाईट का टोल फ़ी नंबर 012—4001—002 पर संपर्क किया जा सकता है। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जावेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। भवनों के संबंध में अन्य जानकारी नगर निगम कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में कक्ष क्रमांक 14 से प्राप्त की जा सकती है विक्रय संबंधी समस्त भार्त ऑनलाईन डाऊनलोड की सकती है।

पृष्ठांक / 34 // 2022
 प्रतिलिपि—

कार्यपालन यंत्री
 नगर पालिक निगम रतलाम
 रतलाम दिनांक / 01 / 2022

- ✓ 1— कलेक्टर एवं प्रशासक महोदय नगर पालिक निगम रतलाम की ओर सूचनार्थ।
- ✓ 2— आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम रतलाम की ओर सूचनार्थ।
- 3— मुख्य कार्यपालन अधिकारी रतलाम विकास/प्राधिकरण रतलाम नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।
- 4— कार्यपालनयंत्री जलसंसाधन विभाग रतलाम नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।
- 5— कार्यपालनयंत्री म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसरदाना विकास मण्डल रतलाम नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।
- 6— कार्यपालनयंत्री लोकनिर्माण विभाग रतलाम नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।
- 7— कार्यपालनयंत्री लोक स्वास्थ यांत्रिकी खण्ड रतलाम नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।
- 8— कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।
- 9— कार्यालय मुख्य नोटिस बोर्ड नगर पालिक निगम रतलाम नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।
- 10— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पंजीकृत व्यापारियों/उद्यमियों/ सप्लायर्स की ओर सूचनार्थ।
- 11— लेखाधिकारी नगर पालिक निगम रतलाम की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन यंत्री
 नगर पालिक निगम रतलाम



कार्यालय, नगर पालिक निगम, रतलाम (मोप्र०)457001

कालेज रोड रतलाम, दूरभाष 07412-270555

फैक्स नं.07412-270556

Email- commratlam@mpurban.gov.in

Website- www.rmcratlam.in

योजना क्रमांक 19 TIT रोड स्थित प्लाट नम्बर 27 के आवंटन हेतु ई-निविदा आमंत्रण की विस्तृत शर्तें:-


1. योजना क्रमांक 19 TIT रोड स्थित प्लाट नम्बर 27 के आवंटन हेतु आबंटन मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 एवं संशोधित नियम 04 मई 2021 के प्रावधान के अन्तर्गत किये जाने हेतु आफर ई-निविदा द्वारा आमंत्रित हैं। इसके अन्तर्गत तीन लिफाफा पद्धति के आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती हैं। लिफाफा 'A' में अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निषेप), लिफाफा 'B' में आरक्षित वर्ग के होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आवश्यक प्रमाण पत्र, आधारकार्ड तथा पैनकार्ड की छायाप्रति एवं ई-निविदा में उल्लेखित अन्य आवश्यक दस्तावेज तथा लिफाफा 'C' में निविदा दर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगी।
2. आरक्षित वर्ग की सम्पत्ति होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र/आवश्यक अन्य प्रमाण पत्र सही पाये जाने पर एवं अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निषेप), नियमानुसार जमा होना पाये जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा 'C' ऑनलाईन खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निविदा से संबंधित अन्य समस्त नियम एवं शर्त ई-निविदा वेबसाईट पर देखी जा सकती हैं।
3. निगम द्वारा अंतरित की जाने वाली संपत्ति का पट्टा पट्टाधारी को 30 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जावेगा।
4. पट्टे का नवीनीकरण 30 वर्ष की अवधि के लिये किया जा सकेगा।
5. पट्टे की अवधि के अवसान की तारीख से चार माह पूर्व की अवधि के दौरान नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
6. पट्टे पर दिये जाने वाली अचल सम्पत्ति पर भू-भाटक निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा की राशि का 2 प्रतिशत के मान से ली जावेगी। परिषद् प्रत्येक 05 वर्ष की भू-भाटक की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि कर सकेगी।
7. वार्षिक भाड़ा अग्रिम में देय होगा—अचल संपत्ति दुकान/हॉल/छत का प्रत्येक पट्टा इस शर्त के अधीन होगा कि पट्टे की अवधि के दौरान देय वार्षिक भू-भाटक प्रति वर्ष अग्रिम में देय होगा तथा पट्टाधारी का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित अवधि के पूर्व उक्त राशि जमा करे। निर्धारित तिथि के पूर्व भू-भाटक जमा करने में असफल रहने की दशा में 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज अधिरोपित किया जाएगा।
8. ई-निविदा में प्रत्येक संपत्ति के लिए अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निषेप) की राशि पृथक—पृथक जमा कराना अनिवार्य होगा जो कि आरक्षित मूल्य के 2.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा। अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निषेप) जमा न किये जाने की स्थिति में निविदा विचार योग्य नहीं होगी।
9. उच्चतम निविदा दर दाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक से 21 (इक्कीस) दिवस में जमा की जावेगी और शेष राशि निविदा दर की अंतिम रखीकृति के संबंध में लिखित सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 120 दिवस के अन्दर जमा की जाएगी। सफल निविदाकार द्वारा आनलाईन जमा की गई धरोहर राशि दुकान की रजिस्ट्री के उपरांत आनलाईन आवेदक के उसी खाते में वापस अंतरित हो जावेगी, जिससे कि राशि जमा की गई थी। यदि निविदाकार द्वारा विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि या संसूचित अवधि के अन्दर शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आयुक्त “विक्रय या पट्टे को अनुपयुक्त कर दिया गया” घोषित कर सकेगा तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।

5/1

10. निविदाकार को नियमों के अन्तर्गत 120 दिवस के अंदर सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराने का प्रावधान है। किन्तु वह इस अवधि के अंदर कभी भी सम्पूर्ण राशि जमा करवा सकता है। सम्पूर्ण राशि जमा होने के 07 दिवस के भीतर नगर निगम द्वारा लीज पट्टा संपादित करवा दिया जावेगा।
11. यथास्थिति, निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर या प्रस्ताव खोले जाने के तत्काल पश्चात् उच्चतम दर प्रस्तुतकर्ता निविदाकार की अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निषेप) को छोड़कर शेष सभी निविदाकारों की अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निषेप) नियमानुसार वापस कर दी जाएगी।
12. निविदा प्रस्थापना के प्रस्ताव को अमान्य किये जाने पर निविदाकर्ता को अग्रिम राशि वापस कर दी जायेगी किन्तु ब्याज देय नहीं होगा।
13. सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृति उपरांत निर्धारित समय—सीमा में राशि जमा न करने की स्थिति में अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति निषेप) राशि राजसात की जावेगी जिसके विरुद्ध कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।
14. आरक्षित प्रवर्ग की सम्पत्ति उसी संवर्ग को नियमानुसार अंतरित की जा सकेगी, नामांतरण की कार्यवाही नियम 4 के प्रावधान अनुसार की जायेगी। इसका उल्लंघन किये जाने पर आवंटन निरस्त कर सम्पत्ति का अधिपत्य निगम द्वारा पुनः ले लिया जावेगा।
15. आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों का तीन बार सार्वजनिक सूचना द्वारा निविदा आमंत्रित किये जाने पर भी कोई निविदा प्राप्त नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति को नियम 5 में दिये गये सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके सामान्य वर्ग को निविदा द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित कर आबंटित किया जा सकेगा।
16. संपत्ति के रचनात्मक भागों के किसी भाग को कोई अतिरिक्त कार्य करने या परिवर्तन करने की पात्रता नहीं होगी, जो संरचना की सुरक्षा को प्रभावित करती हो तथा वह इसे उसी स्थिति में रखेगा, जैसा कि उसे प्रदान किया गया है।
17. यदि सम्पत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इस प्रकार हुई क्षति को पट्टाधारी को ही वहन करना होगा। इसके लिए आयुक्त नगर निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
18. संपत्ति का रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत पट्टेधारी द्वारा किया जाएगा।
19. आयुक्त नगर पालिक निगम रत्नाम लोकहित में उक्त संपत्ति का अंतरण निरस्त कर सकेगा और व्यवस्थापन वैकल्पिक स्थान पर कर सकेगा।
20. आयुक्त नगर पालिक निगम रत्नाम द्वारा अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा उसका निरीक्षण किया जावेगा।
21. पट्टाधारी द्वारा व्यवसाय हेतु किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ या शासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित मादक पदार्थों या किन्हीं अन्य ऐसे पदार्थों के संग्रहण एवं विक्रय की अनुमति नहीं होगी, जो लोगों के जीवन पर हानिकारक प्रभाव डाले व उसकी संपत्ति तथा आस—पास की संपत्तियों के लिए असुरक्षित हो। इस प्रकार के आपत्तिजनक पदार्थों के संग्रहण की जॉच आयुक्त नगर निगम अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कभी की जा सकेगी। इस शर्त के उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी एवं नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।
22. पट्टाधारी किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा, जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आसपास के रहवासियों अथवा आमजन की भाँति, सुखाधिकार तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।
23. पट्टाधारी द्वारा आबंटित सम्पत्ति के अतिरिक्त शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अथवा अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
24. आयुक्त नगर पालिक निगम रत्नाम लोकहित में संपत्ति में सुधार हेतु पट्टाधारी को निर्देश दे सकेगा।
25. पट्टाधारी को विद्युत संयोजन एवं नल कनेक्शन स्वयं के व्यय पर नियमानुसार प्राप्त करना होगा।
26. पट्टाधारी द्वारा इन निर्मित बनाये गये नियमों और उसके अधीन बनाए गए उपबंधों और अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में चूक करने की दशा में सम्पत्ति का अन्तरण निरस्त किया जा सकेगा।
27. केन्द्र सरकार म0प्र0शासन एवं स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित कर/शुल्क/अन्य प्रभारों का भुगतान पट्टाधारी द्वारा किया जाएगा।

51

28. म०प्र०नगर पालिक निगम एक्ट 1956 की धारा 17 व 19 के अन्तर्गत नगर निगम रतलाम के निर्वाचित पार्षद एवं उनके परिजनों को निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं रहेगी।
29. म०प्र०नगर पालिक निगम एक्ट 1956 की धारा 59 के अन्तर्गत नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिजन को निगम सम्पत्ति तथा भूखण्ड, दुकान इत्यादि क्रय करने हेतु निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं रहेगी।
30. मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधान, मध्यप्रदेश अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 2016 एवं संशोधित नियम 04 मई 2021 के अनुसार निर्धारित सभी शर्तें व नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
31. पटटाधारी को आबंटित संपत्ति के संबंध में शासन संचालनालय तथा इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित विधि/नियम/आदेश/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
32. आबंटिती द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर तथा 10 वर्ष का भू-भाटक एक मुश्त जमा करने पर सम्पत्ति को नियमानुसार आबंटिती के पक्ष में फ्री होल्ड कर दिया जावेगा।
33. निविदाकार को बैंक से ऋण स्वीकृत करवाने में बैंकों को भागीदार बनाया जाकर आवश्यक सहयोग दिया जावेगा।



कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम रतलाम